न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 10 / 14

GCMS id : 2014 / 00163

श्याम सुन्दर पुत्र कृष्णचन्द, जाति ब्राम्हण, निवासी कैथून, जिला कोटा

– (प्रार्थी) वादी

बनाम

1–5. महावीर, महेन्द्र, मुकेश, रामावतार पुत्रान रामकिशन, जाति धाकड, निवासी कैथून, जिला कोटा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोर किये जाने मूल वाद

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92A R.T.Act

उपस्थिति : श्री सुधीन्द्र यादव, प्रार्थी अभिभाषक
श्री बृजनारायण शर्मा अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.09.2022

1- प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोर किये जाने मूल वाद पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने रेरटोरेशन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –

- प्रार्थी का एक दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था।
- दिनांक 08.01.2014 को प्रार्थी व वकील साहब की अनुपस्थिति मानते हुये वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया जबकि प्रार्थी ने वकील साहब को नियुक्त कर उन्हें वाद की सम्पूर्ण फीस अदा कर दी थी तथा वकील साहब ने आयवासन दिया था कि आपको हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है।
- दिनांक 08.01.2014 को प्रार्थी वकील साहब के भरोसे रहा और इसी कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिस पर उक्त वाद खारिज कर दिया।
- दिनांक 15.05.2014 को अन्य कार्य से वकील साहब के पास आया तो प्रार्थी को उसका वाद खारिज होने की जानकारी हुई। तब नकल प्राप्त करके मूलवाद के रेस्टोरेशन का उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।
- अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद को रेस्टोर किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3- अप्रार्थी क्रम–1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि –

- प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को वाद खारिज होने की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है।
- दिनांक 08.01.2014 को वाद खारिज होने के उपरान्त 30 दिवस की समयावधि में रेस्टोर नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2014 को पेश किया गया है जो स्पष्टतः अवधि बाधित है।
- वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों की लापरवाही से उनके वाद में हुई हानि के लिये न्यायालय जिम्मेदार नहीं है और लिमिटेशन एक्ट, फोरमेलिटी एक्ट नहीं है।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद रेस्टोर किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का एक दावा विचाराधीन था जिसे दिनांक 08.01.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया जबकि प्रार्थी ने वकील साहब को मनोनीत कर रखा था और वकील साहब ने ही आश्वस्त किया था कि हर तारीख पेशी पर कोर्ट आना जरूरी नहीं है इसलिये प्रार्थी वकील साहब के भरोसे रह गया और कोर्ट ने मेरा दावा खारिज कर दिया। दावे के खारिज होने की जानकारी होने पर खारिज आदेश की नकल प्राप्त होते ही प्रार्थी ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। प्रार्थी ने जान बूझकर कोई

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

गलती नहीं की है। प्रार्थी की ओर से पेश मूल वाद अभी जवाब दावा की स्टेज पर ही चल रहा है अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद को रेस्टोर किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी और उनके अधिवक्ता को वाद खारिज होने के बारे में शुरू से ही पता था फिर भी उनके द्वारा दावा खारिज होने के बाद 30 दिवस की समयावधि में रेस्टोर नहीं करवाया गया है जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्णतः अवधि बाधित है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार लापरवाही के लिये पक्षकार खुद जिम्मेदार है। कानून में लिमिटेशन एक्ट ऐसे ही थोडे बना रखा है। अतः निवेदन है कि जानबूझकर न्यायालय की नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और नियमों, अधिनियमों, परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न्यायालय की नियत पेशी पर वादी और उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा वाद वादी, अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। इसके पश्चात वादी की ओर से दिनांक 05.06.2014 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी ने परिसीमा अधिनियम के अनुसार प्रार्थना पत्र के अवधि बाधित होने सम्बन्धी आपत्ति की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार विधिसंगत तथ्य यही है कि न्यायालय में विचाराधीन दावे में पेश होने वाले किसी प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व दावे के संभावित निर्णय पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के मूलवाद के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 92--ए के अन्तर्गत दावा पेश किया गया है। पक्षकारान अपनी अपनी आराजी के अभिलिखित काश्तकार खातेदार है। इस दावे में वादी द्वारा प्रतिवादी की आराजी पर बनी मेढ के रास्ते आने जाने में रूकावट नहीं पैदा करने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है अर्थात अपने खेत पर आने जाने के लिये रास्ता चाहा गया है। ज्ञातव्य है कि इस न्यायालय को रास्ते सम्बन्धी राजस्व मामलों की सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं है। अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि रास्ते सम्बन्धी राजस्व मामलों का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है तो प्रार्थी की ओर से पेश रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करके आगामी वर्षो तक न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझाये रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रास्ते सम्बन्धी अनुतोष के लिये वादी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। वैसे भी देखा जाए तो वादी द्वारा प्रतिवादी की आराजी पर बनी मेढ पर जाना चाहा है जबकि प्रत्येक काश्तकार अपने खाते की आराजी का अपने अनुसार उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र है। अतः मूल वाद के स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत रेस्टोर किये जाने वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) कोटा।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा